प्रकरण संख्या 08/2020 रामजी बनाम मोती व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.09.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 10 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 53, 92–ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज के समय से ग्राम रोहनवाडी, तहसील बागीदौरा में आराजी नंबर 26, 27, 28, 143, 144, 148, 273, 304, 305, 331, 577, 578 कुल किता 12 रकबा 29 बीघा 6 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 8 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा होकर मौके पर बाहमी बंटवारा कर अपने–अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे हैं। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज हीरा, वालेंग व वरसिंग पिता दीता भील थे, परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने गलती से बिना किसी आदेश के उक्त आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज गवजी पिता वरसेंग के नाम अंकित कर दी तथा गवजी की मृत्यु के बाद उक्त आराजियात से बने हाल आराजी नंबर 185 से 187, 187/2244, 385, 390 से 392, 396 से 399, 401, 402, 1111, 1125 से 1130, 1563, 1564, 1572 से 1574 कुल किता 26 रकबा 4.67 हैक्टर भूमि मात्र प्रतिवादी संख्या 1 रामजी के नाम अंकित कर दी, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। वादीगण का बाहमी बंटवारे अनुसार अपने हिस्से की आराजियात पर कब्जा चला आ रहा है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 8 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा अनुसार खातेदार घोषित किया जाकर विभाजन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05.06.2018 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 22.09.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 10 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार गांधी उपस्थित हुए, अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए, अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अपील की बहस सुनी गई।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:09:32 IST
Reason: Self Attested

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण सम्यक रूप से तामिल कराये बिना एवं उन्हें सुनवाई का न्यायोचित अवसर दिये बिना अधीनस्थ न्यायलय द्वारा एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया गया है, जिसकी जानकारी उन्हें प्रथम बार माह जुलाई 2020 को हुई। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्ट को हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी/अपीलान्ट की सम्यक तामिल कराये बिना एवं अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलान्ट के विरूद्ध अवैधानिक रूप से एकपक्षीय डिक्री जारी कर दी, जो निरस्त योग्य है। राजस्व कैम्प में बिना दोनों पक्षों की सहमति के प्रकरण रखा गया है, जबकि विधि अनुसार राजस्व कैम्प में राजीनामें वाले प्रकरणों का ही निस्तारण किया जाता है। विवादित आराजियात के मूल पुरूष वरसेंग जी थे, जिनके नाम पट्टा संवत् 2002 में सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट बांसवाड़ा द्वारा दिया गया, तब से अपीलान्ट अपने पूर्वजों के समय से काबिज चला आ रहा है। रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का विवादित आराजियात से कोई संबंध नहीं है। विवादित आराजीयात अपीलान्ट की स्वअर्जित सम्पत्ति है। उक्त आराजियात हीरा अथवा वालेंग के नाम कभी भी दर्ज नहीं रही है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय भूमि को पैत्रृक मानते हुए वादीगण को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के [illegible] है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का [illegible] अपास्त की जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:09:32 IST
Reason: SelfAttested

ने बताया कि अपीलान्ट की प्रोपर तामिल होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। विवादित आराजियात अपीलान्ट की स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं होकर पैतृक सम्पत्ति है। अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट रियासत बांसवाड़ा की पर्चा खतौनी संवत् 2000 अनुसार विवादित साबिक आराजी नंबर 26, 27, 28, 143, 144, 148, 273, 304, 305, 331, 577, 578 कुल किता 12 रकबा 29 बीघा 6 बिस्वा भूमि अपीलान्ट के दादा वरसिंग पिता दीता के नाम दर्ज है तथा जमाबन्दी संवत् 2037 से 2040 में उक्त आराजियात अपीलान्ट के पिता गवजी पिता वरसेंग के नाम अंकित है। मिलान क्षेत्र अनुसार उक्त साबिक आराजी से हाल आराजी नंबर 185 से 187, 187/2244, 385, 390 से 392, 396 से 399, 401, 402, 1111, 1125 से 1130, 1563, 1564, 1572 से 1574 रकबा 4.67 हैक्टर बनना स्पष्ट है, जो वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2064 से 2067 में अपीलान्ट रामजी के नाम दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेकार्डेड खातेदार अपीलान्ट को बिना सुने उनके विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री जारी कर दी है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 56/2016 निर्णय एवं डिक्री 05.06.2018 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन अनुसार प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादी को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 25.11.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:09:32 IST
Reason: SelfAttested

(कीर्ति राठौड़)
जिला–प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर